

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/45/2020

मनोज कुमार खितौलिया (अधिवक्ता) खटीक मौहल्ला रूपवास जिला भरतपुर

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, रूपवास ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 02.06.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मनोज कुमार खितौलिया (अधिवक्ता) खटीक मौहल्ला रूपवास, जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2020 उपखण्ड अधिकारी, रूपवास से सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी, रूपवास द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/299 दिनांक 23.03.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रूपवास से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई । उपखण्ड अधिकारी, रूपवास से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं उपखण्ड अधिकारी, रूपवास ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रूपवास से उक्त सूचनाएं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, रूपवास से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। उपखण्ड अधिकारी, रूपवास से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रूपवास को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी, रूपवास को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांत को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

